

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

नन्दलाल

बनाम वरदावरी काईकिस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 228/2021

2021 355

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20⁵/₂₀₂₁

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती नन्दलाल शंकरधु जाट, रतनलाल गोदपुत्र
शंकरलाल जाट, संगीता पुत्री शंकरलाल जाट ना.का. संरक्षक
नन्दलाल शंकरधु जाट शंकरलाल जाट का कंधारिया

निवासी- तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

कंधारिया चाहलो का स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 2 रकबा 0.8500,
7 रकबा 1.2000, 15 रकबा 0.3600, 98 रकबा 0.6500

कुल कीता 4 कुल रकबा 3.0600 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम कंधारिया चाहलो का स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 2 रकबा 0.8500, 7 रकबा 1.2000, 98 रकबा 0.6500

कुल कीता 4 रकबा 3.0600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500.00 रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर किशोर्दे)
सहायक कलेक्टर एवं
उप-अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)